रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932
No. 473] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

## नागर विमानन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2010

**सा.का.नि. 702(अ).**—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के साथ धारा 18 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों को विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील न्यायाधिकरण (आवेदन तथा अपील एवं शुल्क के लिए प्रपत्र) नियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

**2. परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) 'अधिनियम' से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) 'अपील' से अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत की जाने वाली अपील अभिप्रेत है ।

(ग) 'आवेदन' से अधिनियम की धारा 18 की धारा (1) के तहत फाईल किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(घ) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत बनाई गई विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

(ङ) 'प्रपत्र' से इन नियमों के लिए संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है;

2. ऐसे शब्दों और वाक्यों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम के अधीन है ।

3. **आवेदन अथवा अपील का प्रपत्र तथा उनका सत्यापन**—(1) धारा 18 के तहत विवाद को निपटाने के लिए आवेदन अपील न्यायाधिकरण के समक्ष प्रपत्र-1 में फाईल किया जाए ।

(2) प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के खिलाफ प्रपत्र-II में न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जाए तथा दिए गए उस निर्देश अथवा निर्णय अथवा आदेश, जिसके खिलाफ अपील की गई है, की सत्यापित प्रति के साथ-साथ पांच प्रतियां प्रस्तुत की जाए ।

(3) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्येक आवेदन अथवा अपील अंग्रेजी में फाईल किया जाएगा और यदि वह अन्य भारतीय भाषा में है, तो इसके साथ अंग्रेजी में रुपान्तरित प्रति लगाई जाए, जो कि स्वच्छ रूप से तथा पढ़ने योग्य टाईप, लीथोग्राफ अथवा डबल स्पेस में टाईप किया हुआ मानक याचिका पत्र के एक ओर अंदर का हाशिया लगभग चार सेंटीमीटर ऊपर तथा दांया हाशिया 2.5 सें.मी. और बांया हाशिया 5 सें. मी. होना चाहिए और यह विधिवत रूप से पेपर बुक के रूप में पैगीनेटेड, सूचीबद्ध तथा साथ-साथ सिला हुआ होना चाहिए ।

**4. फीस**–(1) प्रत्येक आवेदन अथवा अपील के साथ दस हजार रुपए का शुल्क देना होगा जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली पर देय होगा ।

[फा. सं. ए-12023/001/2009-एडी]

रोहित नंदन, संयुक्त सचिव

**फार्म-1**

**[नियम-3 के उप नियम (1) को देखे]**

**विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण**

**नई दिल्ली में**

**मूल अधिकारिता**

**201 की आवेदन सं. ______**

**<u>वाद शीर्षक</u>**

क.ख. ......................................................आवेदक (आवेदकों)

और

ग.घ. ................................................प्रतिवादी (प्रतिवादियों)

के मध्य

(अल्प पते के साथ)

1. आवेदन का ब्यौरा

   (भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के खंड-18 (1) के अंतर्गत आवेदन)

2. सेवा हेतु आवेदक (आवेदकों) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

   (i) पिन कोड सहित डाक पता

   (ii) मोबाईल नं. सहित दूरभाष नं.

   (iii) ई-मेल

   (iv) फैक्स नं.

   (v) प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित

3. सेवा हेतु प्रतिवादी (प्रतिवादियों) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

   (i) पिन कोड सहित डाक पता

   (ii) मोबाईल नं. सहित दूरभाष नं.

   (iii) ई-मेल

   (iv) फैक्स नं.

   (v) प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, मोबाईल नं. सहित

4. अपील अधिकरण की अधिकारिता

   आवेदक (आवेदकों) द्वारा घोषित किया गया है कि आवेदन की विषय वस्तु इस अधिकरण की अधिकारिता के भीतर है ।

5. मामले के तथ्य

   (यहां कालक्रमानुसार तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें और तत्पश्चात् विधि के प्रश्न सहित मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें । जहां तक संभव हो प्रत्येक पैरा पृथक मामले से संबंधित हो । )

6. (i) मामले के तथ्यों या पक्षों के मध्य विवाद को विनिर्दिष्ट करें और (ii) विधि के प्रश्न को संक्षिप्त करें जो आवेदन पर विचार किए जाने हेतु उठे हों :

   (क) मामले के तथ्य

   (ख) विधि के प्रश्न

7. विधिक प्रावधानों सहित उत्पन्न पृष्ठभूमि ।

8. ये मुद्दे किसी अन्य अदालत में पूर्व में फाईल नहीं किए गए हैं या लंबित नहीं हैं ।

आवेदक (आवेदकों) द्वारा आगे यह भी घोषणा की गई है कि आवेदक (आवेदकों) ने इस मुद्दे पर, जिसके लिए यह आवेदन दिया गया है, किसी अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण में न तो कोई रिट याचिका या मुकदमा फाईल किया था और न ही इनमें से किसी में कोई रिट याचिका या मुकदमा लंबित है ।

(यदि आवेदक (आवेदकों) ने पूर्व में ऐसी कोई रिट याचिका या मुकदमा दायर किया था तो वह स्तर जिस पर यह लंबित है और, यदि इस पर निर्णय हो गया है तो इसके परिणाम को विनिर्दिष्ट करें और आदेश की प्रति भी संलग्न की जाए ।)

9. ऐसी राहत (राहतों) की पृष्ठभूमि और विधिक प्रावधानों, यदि कोई हों, को नीचे विनिर्दिष्ट करें ।

10. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का ब्यौरा, विशेष रूप से आवेदन सहित ।

11. आवेदन का ब्यौरा, यदि समान विवाद के विरुद्ध प्रतिवादी (प्रतिवादियों) द्वारा इस अपील अधिकरण के समक्ष दायर किया गया है, संख्या व तिथि सहित, यदि उस आवेदन में कोई पारित किया गया हो (यदि ज्ञात हो) ।

12. अनुक्रमणिका

(अवलंब कालक्रमानुसार दस्तावेजों के ब्यौरे वाली अनुक्रमणिका संलग्न है)

13. देय शुल्क विवरण तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा अपील के लिए शुल्क के संबंध में ।

बैंक का नाम .................................................................... शाखा ................................................ दिल्ली में देय ।

डिमांड ड्राफ्ट सं. .............................................................. दिनांक ..........................................................

14. संलग्नकों की संख्या :

1.

2.

3.

4.

15. क्या सभी प्रतिवादी (प्रतिवादियों) और सभी हितधारित पक्षों को सभी संलग्नकों सहित आवेदन की प्रति अग्रेषित की गई है, यदि हां, तो डाक रसीद/कूरियर रसीद संलग्न करें ।

16. कोई अन्य संगत सामग्री, विवरण/ब्यौरा आवेदक जिसे प्रस्तुत करना आवश्यक समझता है :

17. प्रार्थित राहत

उपर्युक्त पैरा-5 में उल्लिखित तथ्यों और, पैरा-6 में निर्धारित विवादित बिन्दुओं और विधि के प्रश्नों के दृष्टिगत आवेदक (आवेदाकों) ने निम्नलिखित राहत (राहतों) के लिए प्रार्थना की है :

(क)

(ख)

(ग)

आज दिनांक ............................................................................ 201

**आवेदक (आवेदकों) के लिए परामर्शदाता** **आवेदक (आवेदकों)**

**आवेदक (आवेदकों) द्वारा षोघणा**

ऊपर नामित आवेदक एतद्द्वारा विधिवत रूप से घोषणा करता (करते) हैं कि कोई भी तथ्य छुपाया या दबाया नहीं गया है और आगे यह भी घोषणा करता (करते) हैं कि अवलंब संलग्नक और टाईप किए गए सामग्री दस्तावेज मूल (मूलों) की सत्य प्रतियां हैं/मूलों की सही नकल है/इनका सही अनुवाद है ।

आज दिनांक ............................ 201 को ..............................................................पर सत्यापित किया गया ।

**आवेदक (आवेदकों) के परामर्शदाता** **आवेदक (आवेदकों)**

**सत्यापन**

मैं ................................ (आवेदक (आवेदकों) का नाम/पुत्र/पुत्री (किसी एक का नाम दें, जैसा भी मामला हो) ...................................................... आयु ...................................................... कार्यालय ...................................................... में कार्यरत, ...................................................... का निवासी एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि पैरा सं. .................... से .................... तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही हैं/ सरकारी रिकार्डो से प्राप्त किए गए हैं) और पैरा .................... से .................... कानूनी सलाह के अनुसार सत्य हैं और कि मैंने कोई तथ्यात्मक तथ्य को छुपाया नहीं है ।

दिनांक :

स्थान :

**आवेदक ( आवेदकों ) के हस्ताक्षर**

**फार्म-II**

**[ नियम-3 के उप नियम ( 1 ) को देखें ]**

**विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण**

**नई दिल्ली में**

**मूल अधिकारिता**

**201 की आवेदन सं.**

**वाद शीर्षक**

क.ख. ...................................................... आवेदन (आवेदकों)

और

ग.घ. ...................................................... प्रतिवादी (प्रतिवादियों)

के मध्य

(अल्प पते के साथ)

1. अपील का ब्यौरा

(भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के खंड ...................................... के अंतर्गत पारित दिनांक ...................................... के निर्देश, निर्णय या ओदश के विरूद्ध भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के खंड-18 (2) के अंतर्गत अपील)

2. अपील के विरूद्ध आदेश के संप्रेषण की तिथि तथा संबंधित साक्ष्य, यदि कोई हों ।

3. सेवा हेतु अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

   (i) पिन कोड सहित डाक पता

   (ii) मोबाईल नं. सहित दूरभाष नं.

   (iii) ई-मेल

   (iv) फैक्स नं.

   (v) प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित

4. अपील में सभी नोटिसों को सेवित करने के लिए प्रतिवादी (प्रतिवादियों) का पता निम्नानुसार है :

   (i) पिन कोड सहित डाक पता

   (ii) मोबाईल नं. सहित दूरभाष नं.

   (iii) ई-मेल

   (iv) फैक्स नं.

   (v) प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल मोबाईल नं. सहित

5. अपील अधिकिरण की अधिकारिता

अपीलकर्ता द्वारा घोषित किया गया है कि अपील की विषय वस्तु इस अधिकरण की अधिकारिता के भीतर है ।

6. अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) द्वारा घोषणा की जाती है कि यह अपील अधिनियम के खंड-18 के उप-खंड-3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर है (उल्लेख कीजिए अपील निर्धारित अवधि के भीतर है यदि यह अपील निर्देश/निर्णय/ओदश, जिसके विरूद्ध यह अपील की गई है, की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात की गई है) । यदि यह अपील परिसीमा से वर्जित है तो विलंब की माफी हेतु अंतरवर्ती आवेदन सहित विलंब के दिनों की संख्या दर्शाई जानी चाहिए ।

7. मामले के तथ्य

(यहां कालक्रमानुसार तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें और तत्पश्चात् अपील में उत्पन्न विधि के प्रश्न सहित मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें । जहां तक संभव हो प्रत्येक पैरा पृथक मामले से संबंधित हो । )

8. (i) मामले के तथ्यों या पक्षों के मध्य विवाद को विनिर्दिष्ट करें और (ii) विधि के प्रश्न को संक्षिप्त करें जो अपील पर विचार किए जाने हेतु उठे हों :

(क) मामले के तथ्य

(ख) विधि के प्रश्न

9. विधिक प्रावधानों सहित उत्पन्न पृष्ठभूमि ।

10. अंतरिम आवेदन का ब्यौरा, यदि कोई हो, विशेष रूप से अपील के साथ ।

11. ये मुद्दे किसी अन्य अदालत में पूर्व में फाईल नहीं किए गए हैं या लंबित नहीं है ।

अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) द्वारा आगे यह भी घोषणा की गई है कि अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) ने इस मुद्दे पर, जिसके लिए यह अपील की गई है, किसी अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण में न तो कोई रिट याचिका या मुकदमा फाईल किया था और न ही इनमें से किसी में कोई रिट याचिका या मुकदमा लंबित है ।

(अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) ने पूर्व में ऐसी कोई रिट याचिका या मुकदमा दायर किया था तो वह स्तर जिस पर यह लंबित है और, यदि इस पर निणर्य हो गया है तो इसके परिणाम को विनिर्दिष्ट करें और आदेश की प्रति भी संलग्न की जाए ।)

12. ऐसी राहत (राहतों) की पृष्ठभूमि और विधिक प्रावधानों, यदि कोई हों, को नीचे विनिर्दिष्ट करें ।

13. अपील का ब्यौरा, यदि समान विवाद के विरूद्ध प्रतिवादी (प्रतिवादियों, द्वारा इस अपील अधिकरण के समक्ष दायर किया गया है, संख्या व तिथि सहित, यदि उस अपील में कोई पारित किया गया हो (यदि ज्ञात हो) ।

14. अनुक्रमणिका

(अवलंब कालक्रमानुसार दस्तावेजों के ब्यौरे वाली अनुक्रमणिका संलग्न है)

15. देय शुल्क विवरण तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा अपील के लिए शुल्क के संबंध में ।

बैंक का नाम .................................................... शाखा .................................................... दिल्ली में देय ।

डिमांड ड्राफ्ट सं. .................................................... दिनांक ....................................................

16. संलग्नकों की संख्या :

1.

2.

3.

4.

17. क्या सभी प्रतिवादी (प्रतिवादियों) और सभी हितधारित पक्षों को सभी संलग्लकों सहित अपील की प्रति अग्रेषित की गई है, यदि हां, तो निर्धारित प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त डाक रसीद/कूरियर रसीद संलग्न करें।

18. कोई अन्य संगत सामग्री, विवरण/व्यौरा अपीलकर्ता जिसे प्रस्तुत करना आवश्यक समझता है :

19. प्रार्थित राहत

उपर्युक्त पैरा-7 में उल्लिखित तथ्यों और, पैरा-8 में निर्धारित विवादित बिन्दुओं और विधि के प्रश्नों के दृष्टिगत आवेदक

3336 GI/10-2

(आवेदकों ने निम्नलिखित राहत (राहतों ) के लिए प्रार्थना की है .:

(क)

(ख)

(ग)

आज दिनांक ........................................................................................................ 201......

अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) के लिए परामर्शदाता अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं)

अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) द्वारा घोषणा

ऊपर नामित अपीलकर्ता एतदद्वारा विधिवत रूप से घोषणा करता (करते) हैं कि काई भी तथ्य छुपाया या दबाया नहीं गया है और आगे यह भी घोषणा करता (करते) हैं कि अवलंब संलग्नक और टाईप किए गए सामग्री दस्तावेज मूल (मूलों) की सत्य प्रतियां हैं/ मूलों की सही नकल हैं/इनका सही अनुवाद है

आज दिनांक .................................... 201 को .................................... पर सत्यापित किया गया ।

अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) के परामर्शदाता अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं)

**सत्यापन**

मैं .............................................. अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) का नाम/पुत्र/पुत्री (किसी एक का नाम दें, जैसा भी मामला हो) ........................................................ आयु ................................................ कार्यालय .................................. में कार्यरत, .................................. का निवासी एतदद्वारा सत्यापित करता हूं कि पैरा सं. ......... से ........... तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही हैं/ सरकारी रिकार्डों से प्राप्त किए गए हैं) और पैरा ............... से कानूनी सलाह के अनुसार सत्य हैं और कि मैंने कोई तथ्यात्मक तथ्य को छुपाया नहीं है।

दिनांक :

स्थान :

अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) के हस्ताक्षर

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2010

**G.S.R. 702.**—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 18 read with clauses (h) of sub-section (2) of section 51 of the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Airport Economic Regulatory Authority, Appellate Tribunal (Forms for Application and Appeal and Fee) Rules, 2010.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In theses rules unless the context otherwise requires, —

(a) 'Act' means the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008(27 of 2008);

(b) 'appeal' means an appeal preferred under sub-section (2) of section 18 of the Act;

(c) 'Application' means an application filed under section (1) of section 18 of the Act;

(d) 'authority ' means the Airport Economic Regulatory Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(e) 'Forms' means the form annexed to these rules;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Form of application or appeal and verification thereof**— (1) An application to be filed before the Appellate Tribunal for adjudication of dispute under section 18 in the Form I.

(2) An appeal against any direction, decision or order made by authority shall be filed before the Tribunal in Form II and shall be in five copies and accompanied with the certified copy of the direction or decision or order against which the appeal is filed .

(3) Every application or appeal filed before the Appellate Tribunal shall be in English and in case it is in some other Indian language it shall be accompanied by a copy translated in English and shall be fairly and legible type written, lithographed or printed in double spacing on one side of standard petition paper with an inner margin of about four centimeters width on top and with a right margin of 2.5 cm, and left margin of 5 cm, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form.

**4. Fee.**—(1) Every application or appeal shall be accompanied by a fee of rupees ten thousand which may be remitted in the form of demand draft drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Civil Aviation, payable at New Delhi.

[F. No. A-12023/001/2009-AD]

ROHIT NANDAN, Jt. Secy.

**FORM I**

{See sub-rule (1) of rule 3}

**IN THE AIRPORT ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY APPELLATE TRIBUNAL**

**NEW DELHI**

**ORIGINAL JURISDICTION**

**APPLICATION NO. ....................OF 201**

**CAUSE TITLE**

**Between**

**A. B.** ...........................Applicant (s)

And

C. D. ........................ Respondent (s)

(with short address)

1. Details of Application

   [ application under section 18 (1) of the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008

2. Address of the applicant (s) for service is as set out hereunder :

   (i) Postal address including PIN code

   (ii) Phone number including mobile number

   (iii) E-mail

   (iv) Fax No.

   (v) Address of authorized representative with phone No. fax No., e-mail

3. Address of the repondent(s) for service of all notices:

   (i) Postal address including PIN code

   (ii) Phone number

   (iii) E-mail

   (iv) Fax Number

   (v) Mobile Number

   (vi) Address of authorized representative with phone number, fax, number, e-mail and mobile number

4. Jurisdiction of the Appellate Tribunal

The applicant (s) declares that the subject matter of the application is within the jurisdiction of this Tribunal.

5. Facts of the case

(Give here a concise statement of facts in a chronological order followed by elaboration of issues including the question of law. Each paragraph should deal with , as far as possible a separate issue. )

6. Formulate (i) the facts in issue or specify the dispupe between the parties and (ii) summarize the questions of law that arise for consideration in the application.

(a) Facts in issue

(b) Question(s) of law

7. Grounds raised with legal provsions.

8. Matters not previously filed or pending with any other court.

The applicant(s) further declares that the applicant(s) had not previously filed any writ petition or suit regarding the matter in respect of which this application is filed before any court or any other authority nor any such writ petition or suit is pending before any of them.

[ In case the applicant(s) had previously filed any such writ petition or suit, the stage at which it is pending and, if decided, the outcome of the same should be specified and a copy of the order should also be annexed.].

9. Specify below the grounds for such relief (s) and the legal provisions, if any, relied upon.

10. Details of interim application, if any, preferred along with the application.

11. Details of applications, if any filed before this Appellate Tribunal against the same dispute, by Respondent(s) with numbers and date, if any passed in that application (if known).

12. Index

[ An index containing the details of the documents in chronological order relied upon is enclosed.].

13. Particulars of fee payable and details of bank draft in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Civil Aviation, New Delhi.

In respect of the fee for appeal.

Name of the Bank ................... Branch .............. Payable at Delhi. DD No. ........................ Date..............

14. List of enclosures :

1.

2.

3.

4.

15. Whether the copy of application with all enclosures has been forwarded to all respondent(s) and all interested parties, if so, enclose postal receipt/courier receipt.

16. Any other relevant or material particulars/details which the applicant(s) deems necessary to set out :

17. Relief sought

In view of the facts mentioned in para 5 above, points in dispute and questions of law set out in para 6, the applicant(s) prays for the following relief (s) :

(a)

(b)

(c)

Dated at ------------------------- this ------------------------------ day of -------------------------------- 201.....

**Counsel for Applicants(s)** **Applicant(s)**

**DECLARATION BY APPLICANT(S)**

The applicant(s) above named hereby solemnly declare (s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of the original(s)/fair reproduction of the originals/true translation thereof.

Verified at .................................... on this at ............................... day of .................................................. 201......

**Counsel for Applicant (s)**

**APPLICANTS(S)**

**Verification**

I.................................................. [Name of the applicant(s)] S/o. W/o. D/o. [indicate any one, as the case may be] ............................................. age .................................. working as ...................................................... in the office of .................................................resident of .........................................................................................................
do hereby verify that the contents of the paras ......................................................to ...........................................................
are true to my personal knowledge/derived from official record) and para ...................... to ................................ are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material facts.

Date :

Place :

**Signature of the applicant(s)**

**FORM II**

**{See sub-rule (2) of rule 3}**

**IN THE AIRPORT ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY APPELLATE TRIBUNAL**

**NEW DELHI**

**APPELLATE JURISDICTION**

**APPEAL NO. ...................OF 201**

**CAUSE TITLE**

**Between**

**A. B.** .......................... Appellant (s)

And

C. D. ....................... Respondent (s)

(With short address)

1. Details of Appeal

   [ appeal under section 18 (2) of the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 against impugned direction, decision or order dated ......................................... passed ............................................ under section ...............................of the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.

2. Date of which the order appealed against is communicated and proof thereof, if any.

3. Address of the appellant (s) for service is as set out hereunder :

   (i) Postal address including PIN code

   (ii) Phone number including mobile number

   (iii) E-mail

   (iv) Fax No.

   (v) Address of authorized representative with Phone No. Fax No., e-mail

4. Address of the respondent(s) for service of all notices in the appeal is as set out hereunder :

   (i) Postal address including PIN code

   (ii) Phone number

   (iii) E-mail

   (iv) Fax Number

   (v) Mobile Number

   (vi) Address of authorized representative with Phone No., Fax, No., e-mail and mobile number

5. Jurisdiction of the Appellate Tribunal

The appellant declares that the subject matter of the appeal is within the jurisdiction of this Tribunal.

6. Limitation

The appellant(s) declare that the appeal is within the period specified in sub-section (3) of section 18 of the

Act. (Explain how the appeal is within the period prescribed in case the appeal is preferred after the expiry of 30 days from the date of direction/decision/order against which this appeal is preferred). In case the appeal is barred by limitation, the number of days of delay should be given along with interlocutory application for condonation of delay.

7. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order followed by eleboration of issues including the question of law arising in the appeal. Each paragraph should deal with , as far as possible a separte issue. )

8. Formulate (i) the facts in issue or specify the dispute between the parties and (ii) summarize the questions of law that arise for condisderation in the appeal.

(a) Facts in issue

(b) Question(s) of law

9. Grounds raised with legal provsions.

10. Details of interim application, if any, preferred along with appeal.

11. Matters not previously filed or pending with any other court.

The appellant(s) further declares that the appellant(s) had not previously filed an writ pettion or suit regarding the matter in respect of which this appellant is preferred before any court or any other authority nor any such writ petition or suit is pending before any of them.

[ In case the appellant(s) previously had filed any such writ petition or suit, the stage at which it is pending and, if decided, the outcome of the same should be specified and a copy of the order should also be annexed].

12. Specify below explaining the grounds for such relief (s) and the legal provisions, if any, relied upon.

13. Details of appeal(s), if any preferred before this Appellate Tribunal against the same impugned order/ direction, by Respondent(s) with numbers and dates, if any passed in that appeal (if known).

14. Index

[ An index containing the details of the documents in chronological order relied upon is enclosed].

15. Particulars of fee payable and details of bank draft in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Civil Aviation, New Delhi.

In respect of the fee for appeal.

Name of the Bank .................... Branch .............. Payable at Delhi. DD No. ........................ Date..............

16. List of enclosures :

1.

2.

3.

4.

17. Whether the copy of appeal with all enclosures has been forwarded to all respondent(s) and all interested parties, if so, enclose postal receipt/courier receipt in addition to payment of process fee as prescribed.

18. Any other relevant or material particulars/details which the appellant(s) deems nceessary to set out :

19. Relief sought

In view of the facts mentioned in para 7 above, points in dispute and questions of law set out in para 8, the appellant(s) prays for the following relief (s) :

(a)

(b)

(c)

Dated at ------------------------- this ---------------------------- day of -------------------------------- 201.....

**Counsel for Appellants(s)** **Appellant(s)**

## DECLARATION BY APPELLANT(S)

The appellant(s) above named hereby solemnly declare (s) that nothing material has been concerned or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewhith are true copies of the original(s)/fair reproduction of the original/true translation thereof.

Verified at ..................................... on this at ................................ day of ................................................. 201.

**Counsel for Appellant (s)**

**APPELLANT(S)**

### Verification

I.................................................. (Name of the appellant(s) S/o. W/o. D/o. [indicate any one, as the case may be] .............................................. age .................................... working as ....................................................... in the office of ...................................................resident of .................................................................................................................. do hereby verify that the contents of the paras ....................................................to ..................................................... are true to my personal knowledge/derived from official record) and para ...............................................to .............. are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material facts.

Date :

Place :

**Signature of the appellant(s)**

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2011/वैशाख 29, 1933

No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2011/VAISAKHA 29, 1933

## नागर विमानन मंत्रालय

### शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 मई, 2011

**सा.का.नि. 389(अ).**—इस मंत्रालय के दिनांक 25-08-2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702 के आंशिक आशोधन के अंतर्गत उपर्युक्त अधिसूचना (अंग्रेजी भाग) की संख्या को जीएसआर-702 के स्थान पर "जीएसआर-702(ई)" पढ़ा जाए ।

2. शेष यथावत रहेगा ।

[फा. सं. ए-12023/001/2009-एडी]

ओमा नंद, अवर सचिव

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th May, 2011

**G.S.R. 389(E).**—In partial modification to this Ministry's Notification No. G.S.R. 702 dated 25-8-2010, the number of aforesaid notification (English version) may be read as "GSR 702(E)" instead of GSR 702.

2. The rest remains the same.

[F. No. A-12023/001/2009-AD]

OMA NAND, Under Secy.

1798 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2011/ज्येष्ठ 17, 1933

No. 300] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2011/JYAISTHA 17, 1933

## नागर विमानन मंत्रालय

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 जून, 2011

**सा.का.नि. 436(अ).**—इस मंत्रालय की दिनांक 25-8-2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702 में आंशिक संशोधन करते हुए इसे 19-5-2011 के साथ सा.का.नि. 389(अ) के साथ पठित, निम्न को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

(i) फार्म I के क्रम संख्या 6 में शब्द 'डिस्प्यूप' के स्थान पर 'डिस्प्यूट' पढ़ा जाए;

(ii) फार्म I में क्रम संख्या 17 के बाद शीर्षक 'आवेदक (आवेदकों) द्वारा षोघाणा' में 'षोघणा' के स्थान पर 'घोषणा' पढ़ा जाए;

(iii) फार्म I में आवेदक (आवेदकों) द्वारा घोषणा की दूसरी पंक्ति में शब्द 'हेयरभिथ' के स्थान पर 'हेयरविथ' पढ़ा जाए;

(iv) फार्म II में शीर्षक '[नियम-3 के उप नियम(1) को देखें]' में 'उप-नियम (1)' के स्थान पर 'उप-नियम (2)' पढ़ा जाए;

(v) फार्म II में क्रम संख्या 5 में 'अधिकिरण' के स्थान पर 'अधिकरण' पढ़ा जाए;

(vi) फार्म II में क्रम संख्या 7 में शब्द 'इलिबॅरेशॅन' के स्थान पर 'इलैबॅरेशन' पढ़ा जाए;

(vii) फार्म II के क्रम संख्या 8 में शब्द 'कन्डिसुडरेशॅन के स्थान पर 'कन्सिडरेशॅन' पढ़ा जाए;

(viii) फार्म II के क्रम संख्या 9 में शब्द 'प्रॅवश्जन' के स्थान पर 'प्रॅविश्जन' पढ़ा जाए;

(ix) फार्म II के क्रम संख्या 11 की पहली पंक्ति के नीचे शब्द 'पेट्शन' के स्थान पर 'पेटीशन' पढ़ा जाए;

(x) फार्म II में 'अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) द्वारा घोषणा' की प्रथम पंक्ति में 'काई' के स्थान पर 'कोई' पढ़ जाए;

(xi) फार्म II में 'पुनर्वादी (पुनर्वादियों) द्वारा घोषणा' की दूसरी पंक्ति में शब्द 'कंसर्नड' के स्थान पर 'कंसील्ड' पढ़ा जाए;

(xii) फार्म II में 'पुनर्वादी (पुनर्वादियों) द्वारा घोषणा' की दूसरी पंक्ति में शब्द 'हेयरभिथ' के स्थान पर 'हेयरविथ' पढ़ा जाए;

2. बाकी को उसी तरह पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए. 12023/001/2009-एडी]

ओमानन्द, अवर सचिव

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th June, 2011

**G.S.R. 436(E).**—In partial modification to this Ministry's Notification No. G.S.R. 702 dated 25-8-2010 read with G.S.R. 389(E), dated 19-5-2011, the following may be read as under :—

(i) In S. No. 6 of Form I, the word 'dispupe' may be read as 'dispute';

(ii) In second line of Declaration by Applicant(s) in Form I, the word 'herewhith' may be read as 'herewith';

(iii) In S. No. 7 of Form II, the word 'eleboration' may be read as 'elaboration';

(iv) In S. No. 8 of Form II, the word 'condisderation' may be read as 'consideration';

(v) In S. No.9 of Form II, the word 'provsions' may be read as 'provisions';

(vi) In first line below S. No. 11 of Form II, the word 'pettion' may be read as 'petition';

(vii) In the first line of Declaration by Appellant(s) of Form II, the word 'concerned' may be read as 'concealed';

(viii) In second line of Declaration by Appellant(s) of Form II, the word 'herewhith' may be read as 'herewith'.

2. The rest remains same.

[F. No. A. 12023/001/2009-AD]

OMA NAND, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.